(4)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R-1162-तीन/14

श्री .... द्वारा आज दिनांक 10-3-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निग-1162-III-14

01- संतोष कुमार मिश्रा तनय जनार्दन प्रसाद मिश्रा,

02- महेन्द्र कुमार मिश्रा

03- विनोदकुमार मिश्रा दोनों के पिता ब्रजभान प्रसाद मिश्र,

तीनों निवासी ग्राम राजाधौ, तह० हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

04- [illegible]श कुमार कोल तनय बैजनाथ कोल

05- बैजनाथ कोल तनय जग्गू कोल,

06- श्यामलाल कोल तनय महगू कोल,

तीनों निवासी ग्राम बरौंह तह० हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

---- - आवेदक गण.

बनाम

01- विनोद कुमार मिश्रा तनय हिन्छलाल मिश्र, तह० हनुमना, रीवा म०प्र०
02- म०प्र० राज्य

----- अनावेदक गण.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० ।

विरुद्ध आदेश कलेक्टर रीवा दिनांक 3-3-14

जो राजस्व प्रकरण क्र0-91/अ-3/निगरानी/१

में पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक R-1162/III/ 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानील कलेक्टर, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 91/अ-3/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-3-13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदक केबिएटकर्ता अभिभाषक के तर्क सुने गये। 3/ उभय पक्ष के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक क-1 ने नायव तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना के समक्ष ग्राम बरांव स्थित खसरा कमांक 521/2 रकबा 0.051 हैक्टर का नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन दिया था, जिसे नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 17/अ-3/07-08 में पारित आदेश दिनांक 18-8-09 से संहिता की धारा 71 सहपठित 67 एंव 68 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करना स्वीकार किया। आवेदकगण ने नायव तहसीलदार के समक्ष आदेश दिनांक 18-8-09 के पुनरावलोकन हेतु संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 14-6-11 से अमान्य किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 91/अ-3/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-3-13 से निगरानी निरस्त कर निरूपित किया कि नायव तहसीलदार का नक्शा	

तरमीम का आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्व आवेदकगण को अपील का उपचार प्राप्त है।

4/ निगरानी में विचार योग्य बिन्दु यह है कि नायब तहसीलदार के पुनरावलोकन आवेदन निरस्त करने हेतु पारित आदेश के विरूद्व कलेक्टर के समक्ष निगरानी पोषणीय है अथवा नहीं ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 51 – पुनर्विलोकन – अपील योग्य आदेश के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन– विचारण न्यायालय ने पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया – मूल न्यायालय का अंतिम आदेश अपील योग्य है।

उपरोक्त कारणों से कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 91/अ–3/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–3–13 हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य